सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 मैनुअल संख्या : – 8
मनोरंजन कर विभाग उत्तराखण्ड,

ऐसे बोर्डो, परिषदों,समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों,समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी ।

भारत सरकार के सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 3102/1/2008/बी0सी0–2 वॉल्यूम–2 दिनांक 16.11.2009 के अनुपालन में शासन ने पत्र सं0 180/XXVII(9)/2010 मनो0कर दिनांक 15.7.2010 द्वारा केबिल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट 1995 के अधीन केबिल टी0वी0 नैटवर्क के पर्यवेक्षण हेतु जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का समस्त जनपदों में गठन किया गया है । जिसमें निम्न सदस्य होंगे :–

1. जिला मजिस्ट्रेट — अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक — सदस्य
3. जिला सूचना अधिकारी — सदस्य
4. जनपद के किसी महिला विद्यालय के प्रधानाचार्य — सदस्य
5. अग्रणीय स्वैच्छिक संस्था जो बाल कल्याण के कन्द्र के प्रतिनिधि हो (जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित) — सदस्य
6. अग्रणीय स्वैच्छिक संस्था जो महिला कल्याण के केन्द्र के प्रतिनिधि हो (जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित) — सदस्य
7. बुद्धिजीवी/समाजशास्त्री/मनोवैज्ञानिक (जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक में से एक नामित) — सदस्य